



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179/ फोन TEL: 26858570
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No. 11019/6/2019-KVS (Admn-II) / 167-186

Dated: 14.02.2020

विषय: दिनांक 27.01.2020 को संपन्न केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मण्डल की 117वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन ।

दिनांक 27.01.2020 को संपन्न केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मण्डल की 117वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति, जो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, अधिशासी मण्डल, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है।

अनुरोध है कि इस संबंध में यदि कोई टिप्पणी हो तो उसे 30 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास भिजवाने की कृपा करें ।

(डॉ. शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

फोन नं. 011-26858565

संलग्नक: यथोपरि ।

वितरण:

1. केविसं. के अधिशासी मण्डल के सभी सदस्य ।
2. निजी सचिव, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, केविसं. मा.सं.वि.मं., शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3. प्रमुख निजी सचिव, सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) एवं उप अध्यक्ष, केविसं. मा.सं.वि.मं., शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. वरिष्ठ पीपीएस, संयुक्त सचिव (ईई-1) एवं उपाध्यक्ष, केविसं., मा.सं.वि.मं., शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
5. उपसचिव (यूटी), मा.सं.वि.मं., शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
6. सभी प्रभागीय प्रमुख केविसं. (मुख्या.), नई दिल्ली ।
7. गार्ड फाईल ।

दिनांक 27.01.2020 को संपन्न केन्द्रीय विद्यालय संगठन के
अधिकासी मंडल की 117वीं बैठक का कार्यवृत्त।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकासी मंडल की 117वीं बैठक दिनांक 27.01.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री सह-अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने की। सभी सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति सूची संलग्न है:


सर्वप्रथम आयुक्त ने माननीय मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन और सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया।

सभी सदस्यों के परिचय के पश्चात पिछले वर्ष में केन्द्रीय विद्यालय की प्रगति एवं उपलब्धियों के बारे में प्रस्तुति की गई। माननीय मंत्री जी ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के आयोजन की सराहना की एवं इसे दैनंदिनी में सम्मिलित करने का आहवान किया। आयुक्त ने जानकारी दी कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना एवं मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों का विद्यालय स्तर पर नियमित रूप से अनुपालन किया जा रहा है जिसमें प्रमुख हैं: Morning Assembly के दौरान युग्मित राज्यों के बारे में जानकारी देने, quiz का आयोजन एवं उस राज्य की भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने एवं वर्ष में एक बार संबंधित राज्य का भ्रमण करना।

माननीय अध्यक्ष ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को PISA कार्यक्रम के लिए और अधिक तत्परता के साथ तैयारी करने का निर्देश दिया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के डिप्टी चेयरमैन-सह-सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता ने केन्द्रीय विद्यालय के दो विद्यार्थियों को 'प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार 2020' पाने के लिए बधाई दी एवं यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों में पूर्व सूचना मंत्रालय को दी जाए ताकि ऐसे विद्यार्थियों को मंत्रालय में अथवा विशिष्ट अवसर पर सम्मानित किया जा सके। माननीय मंत्री महोदय ने इन विद्यार्थियों को अपनी ओर से प्रशस्ति पत्र भेजने की इच्छा जाहिर की।

इसके पश्चात एक-एक करके मदवार कार्य सूची पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

मद संख्या - 1. दिनांक 20.02.2019, 19.06.2019, 28.06.2019 और 29.11.2019 को आयोजित अधिकासी मंडल की क्रमशः 113वीं,



114वीं (संचलन द्वारा), 115वीं (संचलन द्वारा), और 116वीं (संचलन द्वारा) बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मंडल की 113वीं, 114वीं, 115वीं और 116वीं बैठकों के कार्यवृत्त पत्र दिनांक 28.02.2019, 20.06.2019, 09.07.2019 और 02.12.2019 के द्वारा सभी सदस्यों को परिचालित की गई थी। इस संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए उपरोक्त 113वीं, 114वीं, 115वीं और 116वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई।

मद संख्या – 2. दिनांक 20.02.2019, 19.06.2019, 28.06.2019 और 29.11.2019 को आयोजित अधिशासी मंडल की क्रमशः 113वीं, 114वीं (संचलन द्वारा), 115वीं (संचलन द्वारा), और 116वीं (संचलन द्वारा) बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मंडल की 113वीं, 114वीं, 115वीं और 116वीं बैठकों के दौरान लिये गये निर्णय के ऊपर अनुपालन रिपोर्ट से समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया।

मद संख्या – 3. दिनांक 27 अगस्त 2019 को आयोजित वित्त समिति की अनुशंसाएं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वित्त समिति की बैठक 27.08.2019 को शास्त्री भवन में आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। बैठक में लिये गये निर्णयों से सदस्यों को अवगत कराया गया। तदनुसार बिन्दुवार वित्त समिति के कार्य की अनुशंसाओं पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

(A) नए 50 स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु 1238.50 करोड़ का द्वितीय ऋण लेने के संबंध में।

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने दिनांक 07.03.2019 को 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। वित्त समिति ने अनुशंसा की कि इनके निर्माण के लिए रुपए 1238.50 करोड़ की द्वितीय ऋण की राशि कार्य की प्रगति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से ली जायेगी। उक्त प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

(B) आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत दान स्वीकार करने के संदर्भ में।

वित्त समिति ने अनुशंसा की थी कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सामान्य जनता, संस्था, संगठन आदि से वित्त मंत्रालय द्वारा विहित नियमों के अनुसार दान प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। अधिशासी मंडल ने इस पर स्वीकृति दी। साथ ही बोर्ड ने वित्त समिति द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी—

- (i) बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात मंत्रालय से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करें।
- (ii) दान प्राप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तें सूचीबद्ध करें।

(C) कर्मचारी भविष्य निधि के पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में **SBI Fund Management Private Limited** की नियुक्ति के संबंध में।


उपरोक्त के संदर्भ में वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में 3 वर्षों तक नियुक्ति की (अगले 31.03.2022 तक) मंजूरी दी गई। साथ ही पिछले 01.04.2019 से 31.09.2019 तक की छमाही के लिए नियुक्ति किये गये पोर्टफोलियो मैनेजर की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

(D) प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नियमित तौर पर **Special Educator** के दो पद सृजित करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में बोर्ड ने स्वीकृति देते हुए मंत्रालय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया।

(E) केन्द्रीय विद्यालय पंचग्राम तथा जागीरोड में कार्मिकों को परिसमापन के कारण वेतन भुगतान न हो पाने के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय से संबंधित वित्त समिति की अनुशंसा स्वीकृत की गई ताकि केन्द्रीय विद्यालय पंचग्राम एवं जागीरोड के स्थायी कर्मचारियों को



संगठन अपने User Charges से इन विद्यालयों के Civil Sector पर परिवर्तित होने तक वेतन की अदायगी की जा सके। यद्यपि अधिशासी मंडल ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथापि यह निर्देश दिया कि इस तरह के समस्त परियोजनाओं के बारे में एक समेकित सूची तैयार करें एवं उस पर आगामी कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

यह निर्देश भी दिया कि ऐसे सभी प्रायोजक निगमों, समिति की पहचान की जाए जिनका विनिवेश हो गया है अथवा होने वाला है। ऐसे मामलों हेतु भी अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाए।

मद संख्या – 4. दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को आयोजित कार्य समिति की अनुशंसाएं।

- (A) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 50 नए केवी के लिए हेफा ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार करने के संदर्भ में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

- (B) विद्यालय भवन निर्माण के लिए लागत पुनरीक्षण (RCC-II) हेतु सचिव/मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं भारत सरकार की स्वीकृति के संबंध में।

अधिशासी मंडल ने कार्य समिति की यह अनुशंसा मान ली कि 129 केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों एवं 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों के निर्माण में आने वाली लागत हेफा से ऋण प्राप्त करने हेतु पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जाए। यह भी निर्देश हुआ कि निर्माण कार्यों की सतत समीक्षा हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप एवं Dashboard बनाया जाए।

मद संख्या – 5. दिनांक 20 नवंबर 2019 को आयोजित प्रशासन एवं स्थापना समिति की अनुशंसाएं।

- (A) स्टाफ कार चालक एवं अनुवर्ती उच्च ग्रेड हेतु डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुरूप मॉडल भर्ती नियमों को अंगीकार करने के संबंध में।

स्टाफ कार चालक एवं अनुवर्ती उच्च ग्रेड हेतु डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुरूप मॉडल भर्ती नियमों को अंगीकार करने के संबंध में अधिशासी मंडल ने मंजूरी दी।

- (B) सिविल/रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित भूमि मानदंडों में जनसंख्या घनत्व के आधार पर संशोधन के बाबत प्रस्ताव।

सिविल/रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित भूमि मानदंडों में जनसंख्या घनत्व के आधार पर संशोधन के बाबत प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड ने निर्देश दिये कि प्रस्ताव मामला दर मामला प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या – 6. दिनांक 18 सितंबर 2019 को आयोजित शैक्षिक सलाहकार समिति की अनुशंसाएं।

- (A) आरटीई अधिनियम में हुए संशोधन के कारण कक्षा 5वीं एवं 8वीं में पुनरावृत्ति के प्रावधान के संबंध में।

आरटीई अधिनियम में हुए संशोधन के कारण कक्षा 5वीं एवं 8वीं में पुनरावृत्ति के प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय विद्यालय में पढ़नेवाले कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के लिए No Detention Policy को समाप्त करने संबंधी अनुशंसा मान ली गई। चूंकि चालू सत्र समाप्ति के कुछ ही महीने शेष रह गये हैं, अतः इस निर्णय को सत्र 2020-21 से लागू करने के निर्देश दिये।

- (B) विभिन्न स्तरों पर खेलों में भागीदारी/मेडल जीतने वाले कक्षा 6 से 9 एवं 11वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रोत्साहन हेतु अनुग्रह अंक प्रदान करने के संदर्भ में।

शैक्षिक सलाहकार समिति की अनुशंसा स्वीकृत की गई। "अनुग्रह अंक" के स्थान पर "अतिरिक्त अंक" का प्रयोग किया जाए।

(C) संभागीय स्तर पर बनाए गये क्षेत्रीय खेल नियंत्रण बोर्ड कोष में अभिवृद्धि के संदर्भ में।

प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। यह व्यवस्था दी गयी कि यदि संभागीय स्तर पर धनराशि का अभाव होता है तो मुख्यालय कोष से सहायता दी जा सकती है।

(D) केन्द्रीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर खेल प्रशिक्षक/विशेषज्ञ नियुक्त करने के संबंध में।


उपरोक्त के संदर्भ में प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बोर्ड ने निर्देश दिया कि कोच एवं विशेषज्ञ की संख्या का निर्धारण तर्कसंगत मानदंड तरीके से किया जाए एवं विद्यालय स्तर होनेवाले आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वित्त समिति के समक्ष रखा जाए। बोर्ड ने चिंता प्रकट की कि केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षकों की संख्या की निरंतर कमी आ रही है। संगठन को सभी विद्यालयों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। योग शिक्षकों के dying cadre की पुनर्समीक्षा किए जाने तथा विधिवत पुनः उपस्थापन के निदेश भी दिये गये। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव तैयार किया जाए कि सभी कैंडर के शिक्षक योग प्रशिक्षण प्राप्त करके योग का शिक्षण incentive basis पर किस प्रकार कर सकते हैं।

(E) केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट प्रवेश योजना की समीक्षा के संदर्भ में।

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट प्रवेश योजना की समीक्षा के संदर्भ में इस संबंध में यथास्थिति बनाये रखने हेतु निर्णय दिया गया।

मद संख्या - 7. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लिये गये निर्णयों की अधिशासी मंडल को रिपोर्टिंग।

(A) केन्द्रीय विद्यालयों में UPSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए कक्षाओं के किराये में संशोधन के संबंध में।



अधिकासी मंडल को UPSC के लिए संशोधित Room Rent देने संबंधी निर्णय से अवगत करा दिया गया।

मद संख्या – 8. कठिन स्टेशनों की स्थिति की समीक्षा और देश भर के 149 कठिन स्टेशनों के केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जारी करने के संबंध में।

अधिकासी मंडल ने 149 केन्द्रीय विद्यालयों (कठिन स्टेशनों) की सूची को स्वीकृत कर लिया।

मद संख्या – 9. राज्यों को सजग करने हेतु एक दशक या उससे अधिक समय से अस्थायी भवनों में चल रहे 43 केन्द्रीय विद्यालयों में नए प्रवेश रोकने के संबंध में।

प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।

उपरोक्त के संबंध में राज्यों को सजग करने हेतु सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता की ओर से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजने का निर्देश दिया। आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री गण को माननीय मंत्री जी की ओर से भी लिखा जाएगा।

मद संख्या – 10. आईआईटी पटना, बिहटा (बिहार) के परिसर में उच्च शिक्षण संस्थान सेक्टर के तहत नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संदर्भ में।

प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृत किया।

मद संख्या – 11. सिविल/रक्षा क्षेत्र के तहत नए केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने के लिए संभाव्य प्रस्तावों की सूची।

सूची में प्रस्तावित 18 केन्द्रीय विद्यालयों के प्रस्तावों पर सहमति दी एवं आगामी कार्रवाई के लिए निर्देश दिये।

मद संख्या – 12. के.वि.सं. के ट्रांसफर दिशा-निर्देशों-2018 में परिवर्तन एवं जोनल पोलिसी समापन

Modification/Changes in KVS transfer Guidelines 2018 & Zonal Policy of KVS को निरस्त करने के संबंध में चर्चा की गई। यह व्यवस्था दी गई कि मामले के व्यापक प्रभाव को देखते हुए इस पर एक कमेटी गठित की जाए जो इससे संबंधित आवश्यक अध्ययन एवं अनुशंसा करेगी।

तदुपरांत पूरे प्रकरण को संचिका पर माननीय अध्यक्ष के निर्णय हेतु उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

मद संख्या – 13. User Charges की समीक्षा।

इस संबंध में बोर्ड ने इस विषय पर और अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया एवं अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

मद संख्या –14. केन्द्रीय विद्यालय रामेश्वरम (तमिलनाडू) हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्ष 2003-04 में क्रय की गई भूमि पर विद्यालय भवन निर्माण संबंधी।

विशेष स्थिति के आलोक में बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा क्रय की गई भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय रामेश्वरम (तमिलनाडू) हेतु भवन बनाने का आदेश दिया।

अनुपूरक एजेंडा-1 के.वि.सं. अध्यक्ष के निर्णय के बारे में अधिशासी मंडल को रिपोर्टिंग।

केन्द्रीय विद्यालयों के 4 छात्रावासों पर SAI द्वारा राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केन्द्रों के रूप में खेल के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय में लिये गए निर्णय से बोर्ड को अवगत करा दिया गया।

अनुपूरक एजेंडा-2 के.वि.सं. द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन से संबंधित व्यय के संबंध में।

उपर्युक्त के संदर्भ में व्यापक चर्चा के उपरांत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को समग्र शिक्षा से आबंटित राशि में से केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने की कार्रवाई करने का आग्रह किया गया।

अन्यान्य: माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा एवं निदेश हुए—

- (1) NPS के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी/डेथ ग्रेच्युटी एवं फैमली पेंशन तथा मैनेजमेंट शेयर 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत करने का विषय—


वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि इस मामले पर वित्त मंत्रालय से पत्राचार जारी है। माननीय मंत्री ने वित्तीय सलाहकार को निदेश दिया कि यदि आवश्यकता पड़े तो उनके स्तर से भी वित्त मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकता है।

- (2) पूर्व से निर्मित केन्द्रीय विद्यालयों की अवसंरचना विकास हेतु हेफा ऋण।

क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं का निर्माण, दिव्यांगों हेतु सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना विकास के लिए हेफा से ऋण के प्रस्ताव विधिवत् तैयार किए जाएं।

- (3) केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों से सेनाओं में भर्ती हेतु अधिकाधिक छात्र-छात्रा किस प्रकार उन्मुख हों इसके लिए तीनों सेनाओं के शिक्षा कोर के साथ समन्वय करके कार्य योजना बनाकर शीघ्र लागू की जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार के साथ समाप्त हुई।



ATTENDANCE SHEET

LIST OF MEMBERS WHO ATTENDED THE 117th MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS OF KVS HELD ON 27th JANUARY, 2020 IN THE CONFERENCE HALL ROOM NO. 112 'C' WING SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI

- 1 **Sh. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'**
Hon'ble Minister of HRD. Govt of India & **Chairman, KVS**,
Shastri Bhawan, New Delhi
- 2 **Sh. Amit Khare, IAS**
Secretary (SE &L) & **Deputy- Chairman, KVS**
MHRD Shastri Bhawan, New Delhi
- 3 **Sh. R. C. Meena, IRS**
Joint Secretary (EE-I) & **Vice- Chairman, KVS**
MHRD Shastri Bhawan, New Delhi
- 4 **Smt. Lamchonghoi Sweety Changsan, IAS**,
Joint Secretary (SS-I)
MHRD Shastri Bhawan, New Delhi.
- 5 **Ms. Darshana M. Dabral, IAS**
J.S. & Financial Advisor,
MHRD (Deptt. of SE &L)
Shastri Bhawan, New Delhi
- 6 **Sh. Ashok Kumar Singh, IAS**
Jt. Secretary (Trg/BR),
Ministry of Defence,
Room No.198- A, South Block,
New Delhi-110011
- 7 **Dr. Hrushikesh Senapathy**
Director, NCERT,
Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
- 8 **Smt. Anita Karwal, IAS**
Chairman, **CBSE**,
"Shiksha Kendra", 2, Community
Centre, Preet Vihar,
Delhi - 110 092.
- 9 **Maj Gen Devesh Gaur**
ADG MT (AE),
Directorate General of Military
Training, Army Headquarters,
Sena Bhawan, New Delhi-110011.
- 10 **Commodore M K Singh**,
Commodore (Naval Education)
IHQ MoD (Navy)
West Block-V,
Sec.-1, R. K. Puram,
New Delhi-110066.

(Represented by

Sh M K Rai,

Under Secretary, M/o Defence,

Room No. 112, B Wing,

Sena Bhawan, New Delhi-11)


(Represented by

Prof. A. P. Behera

Joint Director)



- 11 Air Vice Marshal L N Sharma**
Assistant Chief of Air Staff
(Education) Directorate of
Education Air Headquarters,
West Block-6, Sec.-1 R. K. Puram,
New Delhi-110066.
- 12 Shri Biswajit Kumar Singh, IFS**
Commissioner, NVS
B-15, Sector -62,
Institutional Area,
Noida-201309 (U.P)
- 13 Sh. Somesh Ranjan**
Executive Director,
Chief-Skill Development Centers,
ONGC Ltd., Deendayal Urja
Bhawan, 2nd Floor, Tower-B 5,
Nelson Mandela Marg,
Vasant Kunj, New Delhi-110070
- 14 Shri Santosh Kumar Mall, IAS**
Commissioner,
KVS [HQ]
- 15 Shri. U. N. Khaware,**
Additonal Commissioner (Admn.)
& MEMBER SECRETARY, BOG,
KVS, KVS [HQ]



MEMBER WHO COULD NOT ATTEND MEETING**Mrs. Vanita Scod**

Dy. Secretary & Chief Welfare Officer,
Deptt. of Personnel & A.R.,
Room No 385, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi.

Shri Narayan Lal Panchariya

M.P. (Rajya Sabha),
Plot No. 12, Mrityunjay,
Paota C, 5th Road,
Jodhpur, Rajasthan – 342006

Shri Sushil Kumar Mishra

Deputy Inspector General,
Group Centre (CRPF),
Jharoda Kalan,
New Delhi-110072

SPECIAL INVITEES WHO ATTENDED

1	Dr. Shachi Kant, Joint commissioner (Personnel)
2	Dr. (Smt.) V. Vijayalakshmi Joint Commissioner (Admn.)
3	Dr. E. Prabhakar, Joint Commissioner (Tr./Fin.)
4	Smt. Piya Thakur, Joint Commissioner (Acad.) (I/C)
5	Er. (Shri). B.S. Pachauri Supdt. Engineer (IC)
6	Lt. Col Hari Ram Ojha, OSD (Defence)
7	Sh. S. S. Chauhan, Assistant Commissioner (Vig.)
8	Sh. A.K. Srivastava, Assistant Commissioner (Fin.)

